न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 31/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भूराराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी रामसरी तहसील डेगाना जिला नागौर		तहसीलदार डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

दिनांक: 16.02.2023

निर्णय

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 43/2021 सरकार बनाम भूराराम में निर्णय दिनांक 15.11.21 के तहत मौजा रामसरी की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.07.22 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील अपीलान्ट की अपील दिनांक 21.07.2022 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 15.11.21 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 43/21 सरकार बनाम भूराराम के फर्द अहकाम 28.06.2021 से 15.11.2021 तक की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अप्रर्याप्त तामिल को गलत व अवैधानिक तरिके से तामिल मानते हुए दिनांक 15.11.2021 को निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जिसकी कोई जानकारी पूर्व में अपीलांट को नहीं थी, दिनांक 11.07.2022 को पटवारी हल्का ने अपीलांट के बाडे पर आया तथा तारबंदी व बाड को हटाने का कहा तब पटवारी हल्का से पुछने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई, तब तहसील कार्यालय, डेगाना जाकर दिनांक 12.07.2022 आवेदन पेश किया एवं नकलें मिलने पर उक्त अपील तैयार करवाकर पेश की। इस प्रकार जानकारी के दिवस से उक्त अपील अन्दर मयाद सुमार की जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार अपीलांट की विधिनुसार तामिल हुए बिना ही व साक्ष्य सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार डेगाना ने अपीलांट के विरूद्व दिनांक 15.11.2022 को निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। न्याय हित मे देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सवूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधिविरूद्व आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट को जो नोटिस जारी करना बताया गया है। उक्त नोटिस की पृष्ठ पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि आसामी भूराराम जो अजमेर में सहपरिवार निवास करते है, तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को सही के नोटिस लेकर पेश करने चाहिए थे। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिना तामिल के लौटकर आये नोटिस का आदेश दिनांक 01.09.2021 में अंकन किया कि अप्रार्थी परिवार सहित अजमेर निवास करता है। पत्रावली दिनांक 15.11.2022 को पेश हो, उक्त आदेश दिनांक 01.09.2021 में न

अपर कलक्टर, नागौर

तो पुनः नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये और न ही आगामी क्या प्रक्रिया में पत्रावली को रखा गया है। इसका कोई अंकन किया गया है। तथा दिनांक 15.11.2021 को पत्रावली पेश होने व निर्णय पृथक से लिखने का अंकन किया गया है। जबकि अपीलांट की तामिल कब हुई, बहस पक्षकारान कब सुनी गई, इसका आदेशिका में कोई अंकन नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालने किये बिना एवं प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया देखने से ही निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का तिलानेश ने ग्राम रामसरी के खसरा नम्बर 221 अथवा उसके किसी भू–भाग पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मिथ्या की है। जबकि अपीलांट के उक्त बाडे की जायगा का तहसीलदार डेगाना द्वारा ही नियमन किया गया है तथा उक्त तथ्य की जानकारी तहसीलदार को भी थी, इस प्रकार से अपीलांट के पिता के नाम से नियमन सुदा भूमि पर अपीलांट का विधिनुसार कब्जा है। उक्त नियमन आदेश को आज दिन तक किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का तिलानेश की अपीलांट की पीठ पीछे तैयार की गई। एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर उन्हे अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाकीयाती भूल की है।

{2}(IV)– पटवारी हल्का ने केवल मात्र गांव के कुछ शिकायती लोगो के बहकावे में आकर अतिक्रमण के संबंध में गलत एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की है। जबकि उक्त बाडे पर विधिनुसार नियमन करने के पश्चात से ही अपीलांट के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। इसके अलावा अपीलांट को विधिनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं ली गई और न ही पटवारी हल्का के बयान लिये गये, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही निर्णय पारित करने में भारी कानूनी व वाकीयाती भूल की है।

{2}(VI)–पटवारी हल्का ने जो कथित एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की है उसमें खसरा नम्बर 221 का कोई अंकन ही नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट ही संदेहसास्पद होने के बावजूद उक्त एकतरफा मौका रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय करने से पूर्व ही अपीलांट के विरूद्व निर्णय करने का मानस बनाते हुए उक्त निर्णय पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VII)– अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण भूराराम पुत्र पुरखाराम जाट के नाम से दर्ज किया तथा निर्णय भूराराम पुत्र मांगीलाल जाट के नाम से किया है। इस प्रकार जब अपीलांट के विरूद्व किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित ही नहीं किया गया तो उसको उसकी विधिनुसार राज्य सरकार द्वारा कब्जा सौंपा गया है, उस जांयगा से अपीलांट को उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं उसके विरूद्व आदेश पारित किये बिना ही जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।।

{2}(VIII)– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया तथा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मानकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो गलत है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रामसरी में स्थित गोचर पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रामसरी के गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है, उक्त नोटिस की पुस्त पर "आसामी भूराराम, जो अजमेर में सहपरिवार निवास करते है। पुलिस सेवा में कार्यरत है।" जिससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट की विधिवत तामिल नहीं हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहा हो, ऐसा अभिलेख से प्रकट नही है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील अपीलांट की पर्याप्त सुनवाई के अभाव मे इकतरफा पारित हुआ है। जिससे अपीलांट को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया

अपर कलेक्टर, नागौर

हो, ऐसा साबित नही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील अपास्त किया जाता है। मामला अधीनस्थ न्यायालय को पुनःप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर